

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seiaacg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 22/08/2019 को संपन्न 291वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

---000---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 291वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 22/08/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: दिनांक 21/08/2019 को संपन्न 290वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: 288वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-2 के अनुसार प्रस्तुतीकरण हेतु उपयुक्त पाए गये प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं तदनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्रीमती शेरली पोन्नाचन डोलोमाईट माईन, ग्राम-पेण्ड्रीतराई, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 917)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39051/2019, दिनांक 11/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-पेण्डीतराई, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21/6 (पार्ट), 21/7, 21/8 एवं 21/9, कुल लीज क्षेत्र 1.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-36,581.25 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेण्डीतराई का दिनांक 17/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 41/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 29/04/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.लि.3/ खनिज/न.क्र.168/2019 दुर्ग, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 9 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.875 हेक्टेयर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 के अनुसार उक्त सभी स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर एवं पूर्व दिशा में छोटा नहर नाली स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 20/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के.जे. पोन्नाचन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स विष्णु केमिकल लिमिटेड, ग्राम-भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 485ए)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / आईएनडी2 / 17059/2016, दिनांक 28/04/2017 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पत्र दिनांक 10/07/2019 द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में दिनांक 06/09/2016 को इनऑर्गेनिक कम्पाउण्ड एण्ड फाइन केमिकल मेन्युफैक्चरिंग हेतु टीओरआर बाबत आवेदन किया गया था। परियोजना प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 606 दिनांक 03/11/2017 द्वारा प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में वर्तमान में स्थापित इनऑर्गेनिक केमिकल्स उत्पादन इकाई क्षमता 8150 टन / वर्ष में अतिरिक्त डायवर्सिफिकेशन कार्यकलाप यथा सेकरिन - 1000 टन/वर्ष एवं सेकरिन सोडियम - 1000 टन/वर्ष कुल उत्पादन (10150 टन/ वर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 37 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh" में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में वर्तमान में स्थापित ईकाइयों तथा प्रस्तावित ईकाइयों से होने वाले कुल प्रदूषण भार (दूषित जल की मात्रा, ठोस अपशिष्ट की मात्रा, हजाडर्स अपशिष्ट की मात्रा आदि) की गणना एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती / अनुरोध, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बरबसपुर फ्लेग स्टोन माईन (श्री राजेन्द्र गुप्ता), ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 924)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39261/2019, दिनांक 15/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 203, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,103 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 11/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 639/ख.लि./तीन-6/2019 रायपुर, दिनांक 12/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 985/क/ ई-निविदा/ ख.लि./ न.क्र.

63/2019 महासमुंद, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 05/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 31/07/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:—

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती / अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड (रतनपुर क्वार्टर्जाईट टेम्पररी परमिट क्वारी 1), ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 921)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39187/2019, दिनांक 13/07/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 6631/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,85,973.73 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् रतनपुर का दिनांक 17/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – टी.पी. क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक आरजीएच/बीएसपी/क्वार्टजाइट/03/19, रायगढ़ दिनांक 24/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 359/ख.लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 29/05/2019 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय, वन परिक्षेत्र अधिकारी, रतनपुर जिला-बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 10/07/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तेजराम साहू, असिस्टेंट मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न रिथिति पाई गई:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में डेम/ब्रीज/एनीकट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्यमार्ग/ मंदिर-मस्जिद तथा सार्वजनिक स्थल नहीं है। आवेदित स्थल से दक्षिण-पश्चिम दिशा में 130 मीटर की दूरी पर एक तालाब स्थित है।
2. कार्यालय तहसीलदार, कोटा, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 22/08/2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दक्षिण-पश्चिम दिशा में 130 मीटर की दूरी पर स्थित तालाब में बारिश के समय जल का भराव होता है, जिसमें संग्रहित जल का उपयोग ग्राम वासियों द्वारा नहीं किया जाता है।
3. समीपस्थ आबादी ग्राम-खैरखुन्डी 0.45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम-खैरखुन्डी 0.79 किलोमीटर एवं अस्पताल रतनपुर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.4 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 5.8 किलोमीटर दूर है। कुरुंग नदी 0.3 किलोमीटर, केनाल 0.76 किलोमीटर एवं तालाब 0.13 किलोमीटर दूर है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
5. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,34,751 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,58,296 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.311 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 9.16 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकततम ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 4.5 मीटर खुले क्षेत्र में 445 नग एवं नदी तट के पहुँच मार्ग में एक तरफ अतिरिक्त 1,250 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,85,973.73
द्वितीय	46,493.4

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:— पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
7. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारूप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 384	2%	Rs. 7.68	Following activities will be done in Govt School	
			Rain Water Harvesting (Govt Primary School, Nawagaon, Middle School, Sendri)	Rs. 5.42
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 1.65
			Supply of Running Water in the Toilets	Rs. 0.40
			Fencing & Plantation of Surrounding Areas	Rs. 0.33
			Total	Rs. 7.80

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 359/ख. लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-रतनपुर) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-रतनपुर (क्वारी-1), तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 6631/1, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-1,85,973.73 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड (रतनपुर क्वार्टजाइट टेम्पररी परमिट क्वारी 2), ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 922)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39182/2019, दिनांक 13/07/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-रतनपुर, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 6631/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,89,221 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् रतनपुर का दिनांक 17/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – टी.पी. क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक आरजीएच/बीएसपी/क्वार्टजाइट/02/19, रायगढ़ दिनांक 24/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 358/ख.लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 29/05/2019 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय, वन परिक्षेत्र अधिकारी, रतनपुर जिला-बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 10/07/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:—

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तेजराम साहू असिस्टेंट मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में डेम/ब्रीज/एनीकट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्यमार्ग/ मंदिर-मस्जिद तथा सार्वजनिक स्थल नहीं है। आवेदित स्थल से दक्षिण-पश्चिम दिशा में 60 मीटर की दूरी पर एक तालाब स्थित है।
2. कार्यालय तहसीलदार, कोटा, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 22/08/2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दक्षिण-पश्चिम दिशा में 60 मीटर की दूरी पर स्थित तालाब में बारिश के समय जल का भराव होता है, जिसमें संग्रहित जल का उपयोग ग्राम वासियों द्वारा नहीं किया जाता है।
3. समीपस्थ आबादी ग्राम-खैरखुन्डी 0.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम-खैरखुन्डी 0.75 किलोमीटर एवं अस्पताल रतनपुर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.36 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 5.8

किलोमीटर दूर है। कुरुंग नदी 0.38 किलोमीटर, केनाल 0.71 किलोमीटर एवं तालाब 0.06 किलोमीटर दूर है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
5. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,08,492 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,62,807 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.307 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 9.25 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकततम ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 4.5 मीटर खुले क्षेत्र में 441 नग एवं नदी तट के पहुँच मार्ग में एक तरफ अतिरिक्त 1,250 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,89,221.45
द्वितीय	47,305

6. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
7. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारूप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey

Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 184	2%	Rs. 3.68	Following activities will be done in Govt School.	
			Rain Water Harvesting (Govt Primary Mohtarai)	Rs. 1.88
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.55
			Supply of Running Water in the Toilets	Rs. 0.40
			Plantation of Surrounding Areas	Rs. 0.13
			Installation of Solar light System	Rs. 0.80
			Total	Rs. 3.76

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 358/ख. लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-रतनपुर) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-रतनपुर (क्वारी-2), तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 6631/1, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) उत्खनन

क्षमता-1,89,221 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स पी.आर.ए. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (करकोटी ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स्ड चिमनी ब्रिक प्लांट) ग्राम-करकोटी व तहसील-भैयाथान, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 926)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40077/2019, दिनांक 27/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईट उत्पादन इकाई है। ग्राम-करकोटी, तहसील-भैयाथान, जिला-सूरजपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 468, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता - 893.53 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईट उत्पादन 8,50,250 नग प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करकोटी का दिनांक 19/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1308/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 10/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 321/खनिज/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।
तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती / अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु सक्षम अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री गिरधारी लाल तलरेजा), ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 793)

आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33218/2019, दिनांक 04/05/2019 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम एवं उत्पादन क्षमता में संशोधन हेतु पत्र दिनांक 22/07/2019 द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345/2, 345/3 एवं 345/4, कुल क्षेत्रफल - 3.74 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ओव्हर बर्डन/मुरुम क्षमता - 20,000 घनमीटर है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 445 दिनांक 10/07/2019 द्वारा पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345/2, 345/3 एवं 345/4, क्षेत्रफल-3.75 हेक्टेयर, चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी अवलोकन किया एवं पाया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन पर राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 445 दिनांक 10/07/2019 द्वारा चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में चूना पत्थर क्षमता - 50,000 टन प्रतिवर्ष के साथ ओव्हर बर्डन/मुरुम क्षमता - 20,000 घनमीटर को शामिल किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम संशोधन "मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री गिरधारी लाल तलरेजा)" के स्थान पर "मेसर्स श्री गिरधारी लाल तलरेजा (चवेली लाईम स्टोन क्वारी)" हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गिरधारी लाल तलरेजा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत फॉर्म-2, अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं तत्समय किये गये प्रस्तुतीकरण में चूना पत्थर क्षमता - 50,000 टन प्रतिवर्ष के साथ ओव्हर बर्डन/मुरुम क्षमता - 20,000 घनमीटर का भी उल्लेख किया गया है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग लीज हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "मेसर्स श्री गिरधारी लाल तलरेजा (चवेली लाईम स्टोन क्वारी)" का उल्लेख किया जाना उनके अभिलेखों हेतु आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम संशोधन "मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री गिरधारी लाल तलरेजा)" के स्थान पर "मेसर्स श्री गिरधारी लाल तलरेजा (चवेली लाईम स्टोन क्वारी)" जारी किए जाने की अनुशंसा की गई।

2. आवेदन पत्र में दर्शाए अनुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में चूना पत्थर क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर चूना पत्थर क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ओव्हर बर्डन/मुरुम क्षमता – 20,000 घनमीटर हेतु संशोधन जारी किए जाने की अनुशंसा की गई।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स नांदगांव फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.-श्रीमती सरोज चंद्राकर), ग्राम-नांदगांव, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 935)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40475 /2019, दिनांक 01/08/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) है। खदान ग्राम-नांदगांव, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3216/3, कुल लीज क्षेत्र 0.83 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4717.44 टन प्रतिवर्ष (फ्लेग स्टोन अधिकतम 4,245.7 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन चिप अधिकतम 471.74 टन प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 18/10/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्डहायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 838/ख.लि./तीन-6/2019, रायपुर दिनांक 11/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1026/क/ ई-निविदा/ ख.लि./ न.क्र. 63/2019 महासमुंद, दिनांक 06/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें क्षेत्रफल 2.07 हेक्टेयर है, जिसमें से 1 खदान क्षेत्रफल 0.7 हेक्टेयर पर सैद्धांतिक निर्णय जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में बरसाती नाला 80 मीटर, बम्हनी चिगरौंद मार्ग 140 मीटर एवं नहर 100 मीटर की दूरी में है तथा मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 08/03/2019 द्वारा जारी किया गया है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 26/07/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर दूरी है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की प्रकृति एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरोज चंद्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुईं। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:-

1. समीपस्थ आबादी ग्राम-नांदगांव 0.2 किलोमीटर एवं शहर महासमुंद 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था नांदगांव 1.8 किलोमीटर एवं अस्पताल महासमुंद 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन बेलसोण्डा 4.8 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 11 किलोमीटर दूर है। महानदी 1.4 किलोमीटर, नाला 0.08 किलोमीटर, नहर 0.1 किलोमीटर एवं तालाब 1.4 किलोमीटर दूर है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,19,520 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 35,522 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.34 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी की मिट्टी की गहराई 3 मीटर एवं ऊपरी मिट्टी की मात्रा 14,727 घनमीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर से कट किया जाएगा। ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। जल की मात्रा 7.26 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। लीज क्षेत्र के चारों ओर 4.5 मीटर खुले क्षेत्र में 452 नग एवं खदान के उत्तरी दिशा के बाउण्ड्री के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में अतिरिक्त 540 नग पौधे 45 दिवस के भीतर लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
------	-------------------------------

प्रथम	3,499.2
द्वितीय	3,790.8
तृतीय	3,440.88
चतुर्थ	3,032.64
पंचम	3,207.6
छटवे	3,761.64
सातवे	3,207.6
आठवे	3,761.64
नौवे	4,245.7
दसवे	3,487.54

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारूप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities will be done in Govt School.	
			Rain Water	Rs. 1.41

			Harvesting	
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.30
			Total	Rs. 1.71

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1026/क/ ई-निविदा/ ख.लि./ न.क्र.63/2019 महासमुंद, दिनांक 06/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें क्षेत्रफल 2.07 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-नांदगांव) का रकबा 0.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-नांदगांव तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3216/3, कुल क्षेत्रफल - 0.83 हेक्टेयर फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता - 4717.44 टन प्रतिवर्ष (फ्लेग स्टोन अधिकतम 4,245.7 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन चिप अधिकतम 471.74 टन प्रतिवर्ष) हेतु **परिशिष्ट-03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. दिनांक 19/08/2019 को संपन्न 288वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/08/2019 को संपन्न 288वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2. मेसर्स टी.आर. ब्रिक्स (कुंजनगर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट, प्रो.- श्री तेमलाल राजवाड़े), ग्राम-कुंजनगर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 927)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40269/2019, दिनांक 30/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। ग्राम-कुंजनगर, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित

खसरा क्रमांक 653, 582, 584, 585, 586 एवं 650, कुल क्षेत्रफल – 2.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 882.76 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईट उत्पादन क्षमता – 6,00,000 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुंजनगर का दिनांक 07/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1322/खनिज/2018, सूरजपुर दिनांक 17/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 731/खनिज/ई-निविदा-कुंजनगर/2019 सूरजपुर, दिनांक 15/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सूरजपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
 3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।
3. **मेसर्स श्री उमेश शर्मा लाईम स्टोन माईन, ग्राम-गोड़पेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 908)**
- ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38103/2019, दिनांक 24/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 31/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गोडपेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5, कुल क्षेत्रफल – 1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोडपेण्डी का दिनांक 29/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1235/खनि.लि./ खनिज/2019 बालोद, दिनांक 12/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 217/खनि.लि.02/ खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 28/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 18.469 हेक्टेयर है, जिनमें से भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 के अनुसार उक्त 8 खदानें स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है एवं 1 खदान क्षेत्रफल 2.144 हेक्टेयर दिनांक 09/09/2013 के बाद की है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि जानकारी में उल्लेखित उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी आशय पत्र की सूची के क्रमांक 1 मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी को सैद्धांतिक निर्णय (LOI) स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में उत्खनन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कच्चा रास्ता, नाला एवं तालाब स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. फॉर्म-1, फॉर्म-1एम एवं अन्य दस्तावेजों में खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5 का उल्लेख किया गया है, जबकि कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में खसरा क्रमांक 316, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5 एवं 326 का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स शशिकांत तिवारी (केपी आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम-केपी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 929)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40338/2019, दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित आर्डिनरी स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-केपी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 537/1, 537/3, 537/4, 537/5, 537/15, 537/16 एवं 537/18, कुल क्षेत्रफल -1.423 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 11,700.45 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्डिनरी स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र -** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केपी का दिनांक 23/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना -** क्वारी प्लान, इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 552/खनिज/2019, अंबिकापुर दिनांक 20/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान -** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 837/खनिज/ख.लि.4/2019 अंबिकापुर, दिनांक 02/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. **एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 30/01/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।**

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
 3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।
5. मेसर्स कण्डरका ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.- श्री आयुष बड़वानी), ग्राम-कण्डरका, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 931)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40404 /2019, दिनांक 31 /07 /2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-कण्डरका, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 846(पार्ट), 831/2 एवं 845, कुल क्षेत्रफल - 3.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता - 3,400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईट उत्पादन क्षमता - 32,98,000 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कण्डरका द्वारा दिनांक 05/07/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 489/खनि.लि/उ.यो./2019, बेमेतरा दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 375/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 के अनुसार उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बेमेतरा के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स भालेसर ब्रिक्सअर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.— श्री ओजस बड़वानी), ग्राम—भालेसर, तहसील—बेरला, जिला—बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 932)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40409/2019, दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम—भालेसर, तहसील—बेरला, जिला—बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 498, 499, 501, 502, 525, 526, 599/2, 601/1, 602, 603, 604, 607/1, 607/2(पार्ट), 610/1 एवं 610/3, कुल क्षेत्रफल – 3.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 2,551 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 24,74,470 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:—

1. **जनपद पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में जनपद पंचायत बेरला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 491/खनि.लि/उ.यो./2019, बेमेतरा दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 377/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.15 हेक्टेयर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 के अनुसार उक्त सभी स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बेमेतरा के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

बैठक का विवरण -


(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जनपद पंचायत बेरला का अनापत्ति प्रमाण पत्र (पठनीय प्रति) प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स चंगोरी ब्रिक्स अर्थ माईन (प्रो.- श्री धनेश राम देशमुख), ग्राम-चंगोरी, तहसील व जिला - दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 828)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34676/2019, दिनांक 13/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 09/05/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

 प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित गौण खनिज मिट्टी उत्खनन खदान है। खदान ग्राम-चंगोरी, तहसील व जिला - दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1117 से 1119, 1122 से 1125 एवं 1135 से 1141, कुल क्षेत्रफल - 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज मिट्टी उत्खनन क्षमता - 900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज मिट्टी उत्खनन खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 28/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 727/खनि.लि/खनिज/2018, बालोद दिनांक 28/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/ए/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 1.15 हेक्टेयर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 के अनुसार उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में 50 मीटर से अधिक पर रास्ता एवं 100 मीटर में शिवनाथ नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 26/07/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. फॉर्म-2 के बिन्दु क्रमांक 8 में माईनिंग ऑफ ऑर्डनरी स्टोन माईन क्षमता – 900 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में मिट्टी उत्खनन का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री विकास अग्रवाल लाईम स्टोन माईन, ग्राम-धौरामाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 934)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40484/2019, दिनांक 02/08/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धौरामाठा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग खसरा क्रमांक 1987/2(पार्ट), 1987/3(पार्ट) एवं 1987/4(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 57.754 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाटा का दिनांक 24/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 195/खनि.लि/खनिज/2019, बालोद दिनांक 07/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 206/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 20/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 5.64 हेक्टेयर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 के अनुसार उक्त सभी स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर दिशा में बरसाती नाला, पूर्व दिशा में कच्चा रास्ता स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है।


बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।


(धीरेन्द्र शर्मा)

अध्यक्ष

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

**मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड
(रतनपुर क्वार्टर्जाइट टेम्पररी परमिट क्वारी 1)**

को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 6631/1, कुल 1 हेक्टेयर, ग्राम-रतनपुर (क्वारी-1), तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर में क्वार्टर्जाइट खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-1,85,973.73 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति लीज अवधि हेतु वैध है। यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से क्वार्टर्जाइट खदान (गौण खनिज) का अधिकतम उत्खनन क्षमता-1,85,973.73 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 384	2%	Rs. 7.68	Following activities will be done in Govt School	
			Rain Water Harvesting Primary School, Nawagaon, Middle School, Sendri)	Rs. 5.42
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 1.65
			Supply of Running Water in the Toilets	Rs. 0.40
			Fencing & Plantation of Surrounding Areas	Rs. 0.33
			Total	Rs. 7.80

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।
15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 445 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण 45 दिवस में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 में बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1250 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से 45 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाए।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
19. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
24. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।



अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड
(रतनपुर क्वार्टर्जाइट टेम्पररी परमिट क्वारी 2)**

**को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 6631/1, कुल 1 हेक्टेयर, ग्राम-रतनपुर (क्वारी-2),
तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर में क्वार्टर्जाइट खदान (गौण खनिज) उत्खनन
क्षमता-1,89,221 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति लीज अवधि हेतु वैध है। यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से क्वार्टर्जाइट खदान (गौण खनिज) का अधिकतम उत्खनन क्षमता-1,89,221 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 184	2%	Rs. 3.68	Following activities will be done in Govt School.	
			Rain Water Harvesting (Govt Primary School Mohtarai)	Rs. 1.88
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.55
			Supply of Running Water in the Toilets	Rs. 0.40
			Plantation of Surrounding Areas	Rs. 0.13
			Installation of Solar light System	Rs. 0.80
			Total	Rs. 3.76

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।
15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 441 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण 45 दिवस में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 में बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1250 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से 45 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाए।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लारिस्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
19. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
22. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
24. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।



अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स नांदगांव फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.-श्रीमती सरोज चंद्राकर)
को खसरा क्रमांक 3216/3, कुल क्षेत्रफल - 0.83 हेक्टेयर, ग्राम-नांदगांव,
तहसील व जिला-महासमुंद में फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) उत्खनन
क्षमता - 4717.44 टन प्रतिवर्ष (फ्लेग स्टोन अधिकतम 4,245.7 टन प्रतिवर्ष एवं
स्टोन चिप अधिकतम 471.74 टन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने
वाली शर्तें

1. यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.83 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता - 4717.44 टन प्रतिवर्ष (फ्लेग स्टोन अधिकतम 4,245.7 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन चिप अधिकतम 471.74 टन प्रतिवर्ष) से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्क्रेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities will be done in Govt School.	
			Rain Water Harvesting	Rs. 1.41
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.30
			Total	Rs. 1.71

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

15. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
16. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 452 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण 45 दिवस में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019-20 में बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 540 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से 45 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
19. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लारिस्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
20. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
21. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
31. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके।

खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.